Case NO :- 60/2020
VMS NO :- 2020/00181

28/7/21 पत्रावली आज पेश हुई।
बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते
आदेश दिनांक 15/3/21 को पेश हो।

जिला कलेक्टर, पाली

15/03/21 बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 44/2018 में पारित आदेश की दिनांक 03.06.2019 की पालना कराने हेतु यह इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो मध्यस्थम सुलह अधिनियम 1996 के तहत पेश किया जाने से इस न्यायालय द्वारा अथवा सेन्शन न्यायालय द्वारा प्रकरण में डिक्री पारित नही की गई है तथा वकील अप्रार्थी के अनुसार इस सन्दर्भ में माननीय सेंशन न्यायालय के प्रकरण संख्या 43/2019 में निर्णय दिनांक 11.02.20 में निर्णय यथावत रखा गया है जिसकी अपील उच्च न्यायालय जोधपुर में भी विचाराधीन है।

चुंकि आरबिट्रेशन एवं सुलह अधिनियम के तहत डिक्री पारित नही की गई है। सी.पी.सी. आर्डर 21 रूल्स 11 के तहत इजराय केवल पारित डिक्री की करवाई जा सकती है। क्योंकि आरबिट्रेशन एक्ट के अनुसार डिक्री पारित नही की गई है। अतः इजराय का केस नही बनता है। क्षेत्राधिकार के अभाव में पत्रावली अस्वीकार की जाती है।

पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल की जाकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो।

जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:24:27 IST
Reason: SelfAttested